REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी॰ एल॰-33004/99

HRA का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 168] No. 168] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2013/चैत्र 19, 1935 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2013/CHAITRA 19, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 209(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 2003, को जहां तक ये उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक श्रेणी 'घ', फार्मासिस्ट तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय के अन्तर्गत, भारत सरकार मुद्रणालयों एवं शाखाओं में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- **1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ होना .** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय तथा शाखाएं. (गैर औद्योगिक समुह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना .—ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन-बैंड तथा ग्रेड वेतन तथा वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वेतन-बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निरर्हता .—कोई व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
- 7. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

,अनुसूची

_			7		·	
	पद का	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड	चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	नाम			वेतन / वेतनमान	अथवा	
1	8 2				अचयन पद	
L	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. अवर श्रेणी लिपिक	(465)* (2013) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन -बैंड-1 5200-20,200 ल0+ ग्रेड वेतन 1900 रु०	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की जाएगी।)
		जा सकता है)				टिप्पण ः- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख
	,	, .	e e e			कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथानिर्धारित होगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाएगी वहां अन्तिम तारीख भारत में
					2.25	अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख
-		·			9 , ,	होगी न कि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,
						नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गईं हैं।

सीघी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हतायें	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोचत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समकक्ष उतीर्ण।	जी हां, स्तम्भ 10 में उपदर्शित की गई		(i) पचासी प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से	सीमा तक		(ii) कुल रिक्तियों का दस प्रतिशत 1800/- रु0 ग्रेड वेतन में समूह 'ग' के कर्मचारियों (गैर औद्योगिक) में से विभागीय अर्हता प्ररीक्षा
कम्प्यूटर पर टाइप परीक्षण उतीर्ण करना होगा।			के आधार पर ऐसे कर्मचारियों में से भरा जाएगा जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता वाले हो तथा जिन्होंने उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकत्य
(अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिल्दी में 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दवाब के औसत से 10,500 कुंजी दवाब प्रति			आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए 50 वर्ष)
घंटा/ 9000 कुंजी दवाब प्रति घंटा के अनुरूप है।)		, * + + · · .	टिप्पण : यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अधिक कर्मचारियों पर बाद के
			वर्षों में रिक्त होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए।

		र्मचारियों(गैर औद्योगिक) में से भरा वेड वेतन में उक्त पद पर 3 वर्ष की
**		•

प्रोचित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे प्रोचित/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोज्ञति समिति विद्यमान है, इसकी सरंचना क्या है	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जायेगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोचितः 1800/- रु के ग्रेड वेतन वाले पद पर तीन वर्ष की. नियमित सेवा सहित समूह ग' कर्मचारी।(गैर औद्योगिक) टिप्पण -1 जहां प्रोज्ञित के लिए ऐसे किनष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके विरष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा, अविध यदि विहित है सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह ग विभागीय प्रोज्ञति समिति या चयन समिति जिसमें निम्निलिखित होंगेः 1. महा-प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2. जेष्ठतम उप-प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय का प्रभारी अधिकारी -सदस्य 3. भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक	लागू नहीं होता
टिप्पण -2 प्रोज्ञित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	मुद्रणालय का जेष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य	
1800/- रु के ग्रेड वेतन वाले समूह 'ग' (गैर औद्योगिक) के कर्मचारी जो 12 वीं कक्षा उर्तीण या समकक्ष अर्हता रखते/हैं तथा जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उच्च श्रेणी लिपिवर्	(273)* (2013) 4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	वेतन -बैंड-। 5200- 20,200 रु0+ ग्रेड	अचयन	लागू नहीं होता
	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन 2400 रु0		

	(7)	(8)	(9)	(10)
-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		प्रोचित द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
1					***

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :	समूह 'ग' विभागीय प्रोज्ञति समिति / चयन समिति जिसमें	(10)
ऐसा अवर श्रेणी लिपिक (ग्रेंड वेतन 1900 रु0) जिसने श्रेणी में आठ वर्ष	निम्नलिखित होंगेः	लागू नहीं होता ।
नियमित सेवा की हो	1. महा-प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या	तार्थ नहां हाता ।
	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष	
टिप्पण -1 जहां प्रोचित के लिए ऐसे किनष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या	3 3 3	
पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर	2 ज्येष्ठतम उप-प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	
भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेता	या प्रभारी अधिकारी, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत	
एक वर्ष से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा अविध यदि	सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	
उल्लिखित है सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
टिप्पण - 2 प्रोज्ञति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए किसी	-सदस्य	
अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व या उस ता0 से नियमित आधार	3. भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य	
पर की गई सेवा को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर	पुस्तक मुद्रणालय के सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	
आधारित तद्नुरुप ग्रेड-वेतन अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा	-सदस्य	
समझा जायेगी जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित		· ·
संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है।		
Cit oliquidi.		
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, या		, a t
(ii) जिन्होनें अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है		
या समतुल्य।		11 1 1 x
टिप्पण -1 प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए		
न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उभ्य हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1		e ee a
जनवरी, 2006 से पूर्व या उस ता० से नियमित आधार पर की गई सेता को		
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेट-		
वेतन अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा जिससे		
वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन दांचे का		
विस्तार किया गया है सिवाय इसके जहां एक से अधिक संशोधन पर्व		
वेतनमान को एक समान ग्रेड-पे/वेतनमान वाले एक ग्रेड में समादित किया		
गया है तथा जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर प्रदान किया	•	
जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड- वेतन/वेतनमान किसी उज्ञयन के बिना एक		
सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।		
टिप्पण -2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के		
उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित		
किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन		
वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टेप्पण -3 प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा,		
भावेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी		14
गहिए ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. आशुलिपिक ग्रेड 2	21* (2013)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'		लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में
	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित	5200- 20,200 रु0 + ग्रेड वेतन		सरकारी सेवकों को आयु में 40 वर्ष तक
	जा सकता है)	अननुसचिवीय	2400 ₹50		ष्ट्र और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में आयु में पैतालिस
		y = 1			वर्ष की छूट। टिप्पण: - आयु सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञाप्ति की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य (ii) दक्षता परीक्षा के मानदंड	लागू नहीं होता		कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा। <u>टिप्पण :</u> प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किसी परिस्थिति के अन्तर्गत पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि की छुट्टी के कारण हुई रिक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर संस्था पद धारण

श्रुतलेखः 10 मिनट 80 शब्द प्रति मिनट।	कर रहे अधिकारियों जो स्तम्भ भरी जा सकेंगी ।	7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रख	तिं हों में से
प्रतिलेखनः कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी)			· //.

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
j'u	18 से 28 वर्ष।	लागू नहीं होता	वेतन -बैंड-।	साधारण केन्द्रीय सेवा,	12*	4. भेषजी
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आ		5200-20,200 ₹0 +	समूह 'ग'	(2013) *	
	अनुसरण में साधारण सरकारी सेवकों को 40 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों वे में 45 वर्ष तक की छट।		ग्रेड वेतन 2800 रू०	अराजपत्रित, अननुसचिवीय	*(कार्यभार के आधार पर	
के लिए निर्णायक	टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए वि				परिवर्तन किया	
प्राप्त करने के लिए	तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने					
(न कि वह अंतिम	नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह				जा सकता है)	
	तारीख जो असम, मेघालय, अकृणाचल प्रदेश, वि			1		
म्मू कश्मीर राज्य	मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू, कश्मी	1				
गहोल और स्पीति	के लददाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल औ					* 1
is, अंडमान और	जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडम	-				
यों के लिए विहित	निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए की गई है।					
	निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों					

(7)	(8)	(9)	(10)
(I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 तथा साथ में	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी में 2 वर्ष का डिप्लोमा तथा राज्य/		2 वर्ष	
भारतीय भेषजी परिषर्द में रजिस्टर्ड			
(2) अनुभव-किसी सरकारी या अर्धसरकारी या सरकार द्वारा	X	-	
मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान में संगत क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्तशासी निकायों या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी क (I) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, या (II) वेतन -बैंड-I 5200- 20,200 रु०+ ग्रेड वेतन 2400 रु० में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले पदधारी ख स्तंभ ७ के अन्तर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों। टिप्पण - 1 प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उभ्रेथ हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्निलिखत होंगेः 1. महा-प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -अध्यक्ष 2 ज्येष्ठतम उप-प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या प्रभारी अधिकारी, भारत सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -सदस्य 3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) , भारत	(पुष्टि के लिए) आवश्यक नहीं

जनवरी, 2006 से पूर्व या उस ता० से नियमित आधार पर की गई सेवा को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड-वेतन अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है सिवाय इसके जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान को एक समान ग्रेड- वेतन/वेतनमान वाले एक ग्रेड में समाहित किया गया है तथा जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड-वेतन/वेतनमान किसी उच्चयन के बिना एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

टिप्पण -2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार मुद्रणालय या भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय -सदस्य

> [फा.सं. 22/2/2011—प्र.—] .सुरेन्द्र सिंह, उप-निदेशक (प्रशासन

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Directorate of Printing) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2013

- G.S.R. 209(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate of Printing Government of India Presses and Branches (Group 'C' and 'D' Industrial Posts) Recruitment Rules, 2003 in so far as they relates to the posts of Upper Division Clerk,, Stenographer Grade 'D', Pharmacists and Lower Division Clerk, except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Government of India Presses and Branches under the Directorate of Printing, Ministry of Urban Development, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Directorate of Printing Government of India Presses and Branches, Non-Industrial Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and the pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification and the pay and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the above said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number of	Classification	Pay Band and	Whether selection	Age limit for direct recruit
the	Post		Grade Pay or	post or non-selec-	
Post			Scale of Pay	tion post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Lower	465*	General	Pay Band -1	Not applicable	Between 18 and 27 years of
Division	(2013)	Central	₹ 5200-20200/-	500	age (Relaxable for
Clerk		Service,	plus Grade Pay	₩,	Government servants up to
CIEIK	*Subject	Group 'C'	₹ 1900/-		the age of forty years in case
	to	Non-			of general candidates and
	variation	gazetted			forty five years in case of
	dependent	Ministerial			candidates belonging to the
	on		2 2 2 2 2		Scheduled Castes and the
	workload.			Dr.	Scheduled Tribes in
	*			*	accordance with the
			* ,	,	instructions or orders issued
	8		a 8 a		by the Central Government.
			• .		Note: The crucial date for
	2			1	determining the age limit
					shall be as fixed by the Staff
				₹.	Selection Commission.
	at the				(Where recruitment is not
× 2	a. * 3		,		through Staff Selection
***	1				Commission, the crucial date
					for determining the age limit
					shall be the closing date for
					receipt of applications from
,		84.		•	candidates in India (and not
					the closing date prescribed
					for those in Assam,
	2		1 "		Meghalaya, Arunachal
				ec 5	Pradesh, Mizoram, Manipur,
		1	2		Nagaland, Tripura, Sikkim,
	4 4		4 T	e e e	Ladakh Division of Jammu
					and Kashmir State, Lahaul
					and Spiti District and Pangi,
				9	Sub-Division of Chamba
		1	_		District of Himachal Pradesh,
				1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	the Union territory of
a", *					Andaman and Nicobar
					Islands or the Union territory
				~	of Lakshadweep).

Educational and other qualifications for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
12th class pass or equivalent	Yes, to the extent indicated in	Two years for direct recruits	(i) Eighty five per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission.

(35 w.p.m. in English and 30 w.p.m. in Hindi correspond to 10500 key depressions per hour/ 9000 key depressions per hour on per hour on the superson in the su	# OF THE PROPERTY OF THE PROPE		considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) Five per cent by promotion from amongst Group C employees (Non-Industrial) with three years regular service in posts with the Grade Pay of ₹ 1800/
per hour/ 9000 key depressions			service in posts with the Grade Pay of ₹ 1800/

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion, deputation or absorption to be made. (11) Promotion: Group C employees (Non-	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition (12) Group 'C' Departmental Promotion Committee or Selection consisting	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (13) Not applicable.
Industrial) with three years regular service in posts with the Grade Pay of ₹ 1800. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed. Note 2: For the purpose of	 General Manager or Manager of Government of India Press or Government of India Text Books Press – Chairman Senior most Deputy Manager or Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge of Government of India Press or Government of India Text Books Press – Member Assistant Manager (Administration) of Government of India Press or Government of India Press or Government of India Text Books Press – Member 	
computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay		

structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Departmental Qualifying Examination:

Group C employees (Non-Industrial) in the Grade Pay of ₹ 1800 who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	273*	General	Pay Band-1	Non- selection	Not applicable
Upper	(2013)	Central	₹ 5200-20200		
Division	*Subject	Service	plus grade pay		
Clerk.	to	Group 'C'	₹ 2400		
	variation	Non-			
	dependent	gazetted,		* - * .	The way of
. 43	on	Ministerial			and the second of the second o
	workload.				mak.

-	(7)	(8)	(9)	(10)
[Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
Lower Division Clerk (Grade Pay of ₹1900) with eight	Promotion or Selection	applicable
years regular service in the grade.	Committee consisting of :	
Note1: Where juniors who have completed their	1. General Manager or Manager of	
qualifying or eligibility service are being	Government of India Press or	
considered for promotion, their senior shall also	Government of India Text Books	
be considered provided they are not short of the	Press - Chairman.	
requisite qualifying or eligibility service by more		
than one year and have successfully completed	2. Senior most Deputy Manager or	
their probation period, if prescribed.	Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge of	•
Note2: For the purpose of computing minimum	or Officer-in-Charge of Government of India Press or	
qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to	Government of India Text	
the 1 st January, 2006 or the date from which the	Books Press	
revised pay structure based on the 6 th Central	– Member.	
Pay Commission recommendations have been	3. Assistant Manager (Adminis-	
extended, shall be deemed to be service	tration) of Government of India	
rendered in the corresponding grade pay or pay	Press or Government of India	
scale extended based on the recommendations	Text Books	
of the pay commission.	Press – Member.	
Deputation: Officers of the Central Government:		
(i) holding analogous post on regular basis, or		
(ii) with eight years regular service in the grade of		
Lower Division Clerk or equivalent.		

Note 1: For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommend-dations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(1) 3. Steno-grapher Grade-II	(2) 21* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service, Group 'C', Non- gazetted, Ministerial	(4) Scale of Pay: PB-1 ₹ 5200- 20200 plus grade pay ₹ 2400/-	Not applicable	(6) Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

1			
(7)	(8)	(9)	(40)
(i) 12 th class pass or	Not	Two years.	Py direct as a 1
equivalent from a	applicable	youro.	By direct recruitment through Staff Selection
recognised Board or			Commission.
University;		1, 4	No.
		, *	Note: Vacancies caused by the incumbent
(ii) Skill Test Norms:		<	being away on deputation or long illness or
		2	study leave or under other circumstances
Dictation: 10			for a duration of one year or more may be
minutes @ 80	1		filled on deputation from the officials of the
w.p.m.			central Government holding analogous
Transcription: 50			posts or regular basis and possessing the
minutes (English),			qualifications prescribed for direct recruits
65 minutes (Hindi)			at column (7).
on Computer.			

(11)	3	,	
(11)	(12)	(12)	
Not applicable	Not applicable	(13)	•
	Hot applicable	Not applicable	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	12*	General	Pay Band-	Not	Between 18 and 28 years. (Relaxable
Pharmacist	(2013)	Central	1	applicable	for Government servants up to the
		Service,	₹ 5200-		age of forty years in case of general
	*Subject	Group 'C'	20200/-		candidates and forty five years in
	to	Non-	plus grade		case of candidates belonging to the
* * *	variation	Gazetted	pay		Scheduled Castes and the Scheduled
	dependent	, Non-	of ₹ 2800/		Tribes in accordance with the
	on	Minis-			instructions or orders issued by the
	workload.	terial			Central Government.)
1 1 1				, w [*]	
			8		Note 1: The crucial date for
				100 OF 100	determining the age limit shall be
				v.	the closing date for receipt of
		81 T			applications from candidates in
				*	India (and not the closing date
			4		prescribed for those in Assam,
			* .		Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
				8	Tripura, Sikkim, Ladakh Division
				99	of Jammu and Kashmir State,
				×	Lahaul and Spiti District and
				v .	Pangi, Sub-Division of Chamba
				14.4	District of Himachal Pradesh, the
	5				Union territory of Andaman and
					Nicobar Islands or the Union
					territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 10+2 from a recognised Board or University with Diploma in	Not	Two	By direct
Pharmacy from a recognised Institution and should have	applicable	years for	recruitment
registered with Pharmacy Council of India or State Pharmacy		direct	failing which
Council.		recruits	by deputation.
(ii) Experience: Two years experience in relevant field a		* * * *	
Government or Semi-Government or Government recognised		4	
commercial establishment .		Î.	

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments, a. (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in PB-1 of ₹ 5200-20200/- with Grade Pay of ₹ 2400/-; and	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: 1. General Manager or Manager of Government of India Press or Government of India Text Books Press – Chairman.	Not applicable.
 b. possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits, under column (7). Note 1: For purposes of appointment on deputation / absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission 	Senior most Deputy Manager or Assistant Manager (Technical) or Officer-in-Charge of Government of India Press or Government of India Text Books Press	

recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. 22/2/2011-A. I] SURENDRA SINGH, Dy. Director (Admn. II)